

**अनुदान संख्या 6 - नाभिकीय विद्युत स्कीमें**  
**GRANT No. 6-NUCLEAR POWER SCHEMES**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-	1313,01,00	569,87,11	-743,13,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			689,85,00
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	2257,62,00		
पूरक	Supplementary	273,20,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			41,45,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"			
बिजली	Power			
मू.	O.	131301.00		
पु.	R.	-68985.00		
			62316.00	56987.11
				-5328.89

(I) 54300.00 लाख रु. का प्रावधान "नाभिकीय विद्युत उत्पादन" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.54300.00 lakhs remained wholly unutilised under "Nuclear Power Generation" - under the following heads:-

(का) "राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र - मशीनरी और उपस्कर"- 800.00 लाख रु. विद्युत केंद्र के बंद होने को देखते हुए पुनर्निर्धारण संबंधी विभिन्न कार्यकलापों को आस्थगित किए जाने के कारण थे।

(A) "Rajasthan Atomic Power Station-Machinery and Equipment"- Rs.800.00 lakhs - due to deferment of various activities for reassessments in view of shutdown of the Power Station.

(खा) "अन्य व्यय - भारी पानी पूल प्रबंधन" - 53500.00 लाख रु. भारी पानी संयंत्रों को वाणिज्यिक उपक्रम घोषित किए जाने के कारण थे। भारी पानी पूल प्रबंधन से संबंधित कार्यकलाप 1.4.2004 से बंद हो गए।

(II) बचतें "नाभिकीय विद्युत उत्पादन" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "ईंधन सूची" -

(क) "टीएपीएस के लिए बी डब्ल्यू आर ईंधन" - 1252.32 लाख रु. की बचत ( 2792.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्युत केंद्र के लिए बी डब्ल्यू आर ईंधन की आवश्यकता में कमी आने के कारण हुई।

(ख) "अन्य केंद्रों के लिए पीएचडब्ल्यूआर ईंधन" - 12215.23 लाख रु. की बचत (56129.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के विद्युत केंद्रों को ईंधन की आपूर्ति लागत कम होने के कारण हुई।

(खा) "राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र" -

(क) "प्रचालन और अनुरक्षण" - 5861.43 लाख रु. की बचत (15223.36 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार विद्युत उत्पादन लक्ष्य कम होने के कारण हुई।

(ख) "नवीकरण और प्रतिस्थापन मूल्यहास निधि" - 614.77 लाख रु. की बचत (1046.64 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मूल्यहास औसत दर में कमी आने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 93.29 लाख रु.की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 69.64 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं और यह स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थीं।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (4159.33 लाख रु.) दिसम्बर, 2004 में प्राप्त किए गए

(B) "Other Expenditure - Heavy Water Pool Management"- Rs.53500.00 lakhs - due to declaration of Heavy Water Plants as commercial undertaking. Activities relating to Heavy Water Pool Management ceased w.e.f. 1.4.2004.

(II) Savings occurred under "Nuclear Power Generation" - under the following heads:-

(A) "Fuel Inventory" -

(a) "BWR Fuel for TAPS" - saving of Rs.1252.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2792.00 lakhs) was due to reduced requirement of BWR fuel for the power station.

(b) "PHWR Fuel for other Stations"- saving of Rs.12215.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.56129.00 lakhs) was due to reduced cost of fuel supplied to Power Stations of Nuclear Power Corporation of India Limited.

(B) "Rajasthan Atomic Power Station" -

(a) "Operation and Maintenance" – saving of Rs.5861.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15223.36 lakhs) was due to less power generation target as per the restrictions imposed by Atomic Energy Regulatory Board.

(b) "Renewals and Replacements Depreciation Fund" - saving of Rs.614.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1046.64 lakhs) was due to reduction in depreciation average rate.

(III) Under one head saving of Rs.93.29 lakhs occurred constituting 21 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were offset by excess of Rs.69.64 lakhs under one head constituting 13 percent of the sanctioned provision.

3. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.4159.33 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grant

27320.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 15 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

of Rs.27320.00 lakhs obtained in December, 2004 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष  
मुख्य शीर्ष "4801"  
बिजली परियोजनाओं  
पर पूंजीगत परिव्यय

Head  
Major Head "4801"  
Capital Outlay on  
Power Projects

मू.	O.	155762.00
पु.	R.	-51325.00

104437.00	104423.67	-13.33
-----------	-----------	--------

मुख्य शीर्ष "6801"  
बिजली परियोजनाओं  
के लिए कर्ज

Major Head "6801"  
Loans for Power  
Projects

मू.	O.	70000.00
पू.	S.	27320.00
पु.	R.	47180.00

144500.00	144499.00	-1.00
-----------	-----------	-------

(I) 10.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4801" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.10.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4801".

(II) मुख्य शीर्ष "4801" - "नाभिकीय विद्युत उत्पादन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "4801" - "Nuclear Power Generation" - savings occurred under the following heads:-

(का) "फास्ट ब्रीडर रिएक्टर - प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्टेज "ए" चरण-II कच्चे माल के विनिर्माण के लिए स्वदेशी क्षमता का विकास" - 264.99 लाख रु. की बचत ( 410.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना का अंतरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड को किए जाने के कारण हुई।

(A) "Fast Breeder Reactors - Prototype Fast Breeder Reactor stage 'A' Phase - II Developing Indigenous Capability for Manufacturing Raw Materials" - saving of Rs.264.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.410.00 lakhs) was due to transfer of the project to Bharatiya Nabhikiya Vidhut Nigam Ltd., a Public Sector Undertaking under administrative control of the Department.

(खा) "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश" -

(क) "न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड" - 38300.00 लाख रु. की बचत (128300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाहरी सहायता की अधिक मात्रा को देखते हुए निवेश कम होने के कारण हुई।

(ख) "भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड" - 12955.00 लाख रु. की बचत (25330.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुनामी दुर्घटना को देखते हुए कार्यकलाप कम होने के कारण हुई।

4.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "6801" - "नाभिकीय विद्युत उत्पादन - न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को कर्ज" के अंतर्गत पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (47180.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 47179.00 लाख रु. था।

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत 151.07 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत और 44 प्रतिशत था।

(B) "Investments in Public Sector and Other Undertakings" -

(a) "Nuclear Power Corporation of India Limited" - saving of Rs.38300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.128300.00 lakhs) was due to reduced investment in view of the increased quantum of external assistance.

(b) "Bharatiya Nabhikiya Vidhut Nigam Ltd." - saving of Rs.12955.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.25330.00 lakhs) was due to reduced activities in view of Tsunami mishap.

4.(I) The above savings were partly (Rs.47180.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation under Major Head "6801" - "Nuclear Power Generation - Loans to Nuclear Power Corporation of India Limited" as already reported to Parliament. Actual excess, however, was Rs.47179.00 lakhs.

(II) Under two heads excess of Rs.151.07 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 14 percent and 44 percent of the sanctioned provision.